**UPPG010015232026**

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।**
**पीठासीन अधिकारी–अंकिता दुबे (एच०जे०एस०) जे०ओ० कोड–UP 1713**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 534/2026**

**मोहित गौतम** आयु 31 वर्ष सुत अमृतलाल गौतम निवासी ग्राम भैसाना थाना महेशगंज जिला प्रतापगढ।

**...आवेदक/अभियुक्त**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य

**...अभियोगी**

**अपराध सं0**–215/2025
**धारा**–351(3),80,85 BNS व ¾ डी.पी. एक्ट
**थाना**–महेशगंज, जिला–प्रतापगढ़।

**दिनांक 06.03.2026**

1. आवेदक/अभियुक्त **मोहित गौतम** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–215/2025,धारा–351(3),80,85 BNS व ¾ डी.पी. एक्ट, थाना–महेशगंज, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–03.10.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी ने अपनी पुत्री शेजल का विवाह मोहित गौतम पुत्र अमृतलाल नि० भैंसाना थाना महेशगंज जिला प्रतापगढ़ के साथ तय किया मोहित पुलिस विभाग में सिपाही है। शेजल भी बी.एस.सी की थी दोनो का विवाह 15.02.25 को सम्पन्न हुआ, प्रार्थी ने अपनी हैसियत से बढकर आठ लाख रुपये नकद सोने की चैन, अंगूठी व बुलट मोटर साइकिल व अन्य सामान देकर बेटी की विदाई किया , शेजल विवाह से प्रसन्न थी है। करीब एक माह पहले शेजल को मोहित ने कहा कि अगर मोटर साइकिल की जगह कार होती तो ठीक होता इसी बात को जेठ रोहित पुत्र अमृतलाल ने भी कहा तब मोहित ने बेटी को धमकाया कि अगर कार ना मिलेगी तो तुम्हारी हत्या कर दूँगा, दूसरा विवाह करके कार लूँगा, प्रार्थी की पुत्री ने फोन पर आप बीति बताया तब प्रार्थी ने बात किया रोहित ने कहा कि 28.09.25 को घर पर जन्म दिन का प्रयोजन है। उसी दिन आना बात होगी। प्रार्थी अपने पडोसी दुकानदार अशोक पाण्डेय पुत्र शिव प्रसाद पाण्डेय व पुत्र सत्यम के साथ भैसाना समय करीब 4 बजे आया निमंत्रण के दौरान बातें होने लगी रोहित व मोहित बुलेट की जगह कार लेने पर दबाब बनाने लगे और धमकाया कि अगर कार ना दोगे तो बेटी ले जाओ, प्रार्थी ने कार की शर्त मान लिया इस बात का विरोध शेजल ने किया तो प्रार्थी ने उसे चुप करा दिया

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.03.04 15:00:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

और सत्यम को वहाँ छोडकर अपने घर चला आया घटना दिनांक 29.9.25 को समय करीब सुवह 9 बजे सत्यम ने फोन किया कि शेजल को मोहित व रोहित ने मारा पीटा उसकी तबीयत खराब है। प्रार्थी तत्काल भैंसाना पहुँचा तो पता चला कि अस्पताल कुण्डा ले गये कुण्डा आया तो पता चला कि स्वरुप रानी अस्पताल / स्वरुप रानी रेफर किया गया है वहाँ से मैं और अशोक पाण्डेय प्रयागराज स्वरुप रानी पहुँचे तो वहाँ शेजल को मृतक बताया गया, उक्त दहेज लोभियो ने जैसा धमकाया था वैसे ही शेजल को मार दिया, प्रकण की सूचना दे रहा हूँ, उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. **जमानत प्रार्थना पत्र** में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी बिल्कुल ही निर्दोष व बेकसूर हैं और उसे मात्र हैरान व परेशान तथा धन उगाही करने की नियत से गलत कथनों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त ने मृतका शेजल को बहुत समझाया बुझाया था, परन्तु शेजल उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी और बराबर कहती थी कि उसे अभियुक्त के साथ नहीं रहना है। मृतका के आहत आख्या/पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पाई गयी। उपरोक्त अपराध संख्या में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है और मुकदमा का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश ई.सी.एक्ट महोदय के न्यायालय में लम्बित है, जिसमें तीन गवाह परीक्षित हो चुके हैं। सभी गवाहों द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न तो कभी सजायाफ्ता है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास ही है। प्रार्थी का यह प्रथम प्रार्थनापत्र जमानत है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थनापत्र जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में न प्रस्तुत किया गया है, न लम्बित है और न ही खारिज हुआ है। अतः जमानत पर रिहा किया जाये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तरीके उसे अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–03.10.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है और जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवाह के मात्र छः माह बाद अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी नहीं होने के कारण वादी मुकदमा की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा उसकी हत्या करने का आरोप है। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि** आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की बेटी को अतिरिक्त दहेज में कार की माँग को लेकर

प्रताड़ित किये जाने का आरोप है। विवाह दिनांक 15.02.2025 से लगभग 6 माह बाद दहेज के लिए प्रताडना तथा दहेज हत्या का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण अस्पष्ट होने के कारण विसरा संरक्षित कर परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है। यद्यपि तीन तथ्य के गवाह परीक्षित हो चुके हैं, किन्तु अन्य साक्षियों का साक्ष्य अंकित किया जाना अभी शेष है। अभियुक्त मृतका का पति है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। इसलिए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई विचार किये अभियुक्त का मामला जमानत के लिये उपयुक्त नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किये जाने योग्य है।

**आदेश**

8. आवेदक/अभियुक्त **मोहित गौतम** द्वारा मु०अ०सं०–215/2025, धारा–351(3), 80, 85 BNS व ¾ डी.पी. एक्ट, थाना–महेशगंज, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनाँक–06.03.2026

**(अंकिता दुबे)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट),
प्रतापगढ़।